न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 09/2015

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादी :—
1. हरकू देवी पत्नी रूगाराम	1.	तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. धनराज पुत्र रूगाराम		
3. लक्ष्मणराम पुत्र रूगाराम		
4. ओमप्रकाश पुत्र रूगाराम जातिगण पालीवाल निवासीगण शिवपुरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : — 06/03/2023

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा शिवपुरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि स्थित है। जो कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज सुदा है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण के पति/पिता रूगा वल्द देदा कौम पालीवाल काबिज काश्त थे तथा वादीगण अपने पति/पिता के जीवनकाल में काबिज काश्त थे तथा आज भी बिना किसी रोक टोक के खुल्लम खुला काबिज काश्त चले आ रहे है। पूर्व में उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1353 रकबा 0.4900 हैक्टर वादीगण के पति/पिता की खातेदारी कब्जा काश्त की दर्ज सुदा थी, लेकिन गलती से कानसिंह पुत्र किशनसिंह के नाम दर्ज हो गयी थी, जिसका नाम पुनः हटाने के लिए श्रीमान सेटलमेंट ऑफिसर, सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर के समक्ष उत्तरदायी पेश की गई थी। जिसकी पत्रावली संख्या 281/79 पर दर्ज की गई। जिसकी खसरा नंबर 1353 को रूगाराम पुत्र देदाराम पालीवाल के नाम खातेदारी दर्ज करने एवं खसरा नंबर 1352 कानसिंह के नाम दर्ज करने का आदेश किया गया तथा खसरा नंबर 1353 में कानसिंह की गलत नाम दर्ज हो गया था, जिसको हटाकर उसके स्थान पर वादीगण के पति/पिता रूगाराम वल्द देदाराम के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया था। उक्त आदेशानुसार वादीगण के पति/पिता का नाम एवं खातेदारी दर्ज करने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सोजत के आदेश संख्या 774 दिनांक 30.09.1981 को खसरा नंबर 1353 में कानसिंह पुत्र विशनसिंह के नाम खारिज कर जरिये म्यूटेशन संख्या 21 के रूगा वल्द देदा कौम पालीवाल के नाम भरा गया। वादीगण के पति/पिता खसरा नं 1353 पर काबिज काश्त थे। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2042 से 2045 में वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

पति/पिता रूगा वल्द देदा का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। जिसमें भी स्पष्ट है कि वादीगण बतौर खातेदार के काबिज काश्त थे तथा वर्तमान में भी वादीगण बतौर खातेदार के काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के पति/पिता के नाम म्यूटेशन स्वीकृत होने के बावजूद भी जमाबंदी में वादीगण के पति/पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया। वादीगण के पति/पिता का देहान्त हो चुका है। जिस कारण वादीगण उक्त खसरा नंबर के राजस्व रेकर्ड की सही जानकारी नहीं हो सकी। क्योंकि वादीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसमें सोचते रहे कि उक्त कृषि भूमि अपने नाम की ही है। जबकि उक्त कृषि भूमि वादीगण के पति/पिता के नाम दर्ज नहीं कर सिवायचक दर्ज की गई जो गलत दर्ज हुई है। वादस्थ कृषि भूमि पर वादीगण बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। लेकिन सहवन से वादीगण के पति/पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रह जाने से वादीगण का नाम दर्ज नहीं हो पाया जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पति/पिता की पूर्व में खातेदारी दर्ज सुदा चली आ रही थी। वादीगण के जानकारी होने पर प्रशासन गांवो के संग अभियान में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर खातेदारी दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया था लेकिन वादीगण को दावे के जरिये ही राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने एवं खातेदारी हक व अधिकार की घोषणा करवाने की हिदायत दी गई इसलिए वादीगण के पास दावा खातेदारी घोषणा करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने से यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का पेश है। वादीगण ने दिनांक 05.02.2013 को वादस्थ कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करने एवं पूर्व में हुए आदेश की पालना करने हेतु प्रतिवादी तहसीलदार सोजत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन उसके बावजूद भी वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया। वादीगण के आजीविका एक मात्र साधन कृषि भूमि ही है। वादस्थ कृषि भूमि पर वादीगण बिना किसी बाधा के काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के पिता के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश हो चुके है। लेकिन खातेदारी दर्ज नहीं करने से यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी का पेश है। प्रतिवादी सरकारी नुमाइन्दा है तथा राज्य सरकार के विरूद्ध यह वाद पेश करने से पूर्व दो माह का धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति की हैं तथा नोटिस की बाध्यता की छूट हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश हैं। बिनायदावा दिनांक 05.02.2013 को वादीगण द्वारा खातेदारी दर्ज करने एवं पूर्व में हुए आदेश की पालना करने हेतु आवेदन देने के बावजूद भी खातेदारी दर्ज नहीं करने से बमुकाम शिवपुरा तहसील सोजत में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वाद पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा शिवपुरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि वादीगण के खातेदारी हक हकूक की है तथा वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाकर लगान मुकर्रर किया जाने की ईश्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने बिन्दुवार जवाब पेश कर वाद पत्र के बिंदु संख्या 01 संलग्न जमाबंदी अनुसार स्वीकार होना, बिंदु संख्या 02 वर्णित कृषि भूमि मौजा शिवपुरा के ख0नं0 1353 सिवायचक दर्ज होना स्वीकार किया, बिंदु संख्या 03 व 04 को वादी स्वयं सिद्ध करना तथा बिंदु संख्या 05 से 09 मे वर्णित तथ्यों को कानूनी बताया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अप्रमाणित होने एवं वर्जित भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होने से वाद मय प्रार्थी के हर्जे खर्चे के खारिज करने की अनुशंषा की है।

बहस अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा शिवपुरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि वादीगण के खातेदारी हक हकूक की है तथा वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाकर लगान मुकर्रर किया जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने दस्तावेजी साक्ष्यो से वाद साबित नही करने से वादी को वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद को साबित करने का जिम्मा वादी का होता है। वादी मय अधिवक्ता वादी शहादत वादी पेश करने में विफल रहे है। वादी मय अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में पेश किए गये दस्तावेज प्रमाणित नही है। फलतः वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता वादी मय वादी वाद को साबित करने मे विफल रहे है लिहाजा वादी का यह वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमिल जाब्जा दाखिज दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 06/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत